न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर (केम्प सागर) (म.प्र.)

1. **माखन पिता ग्याप्रसाद घोषी उम्र 42 वर्ष**
2. वीरेन्द्र पिता ग्याप्रसाद घोषी उम्र 38 वर्ष
   दोनों निवासी ग्राम खाताखेडी तह राहतगढ जिला सागर (म.प्र.)

– पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्ध

1. तरंजीत सिंह पिता दौलत राम छावडा निवासी इंदौर
2. रंजीत पिता जगन्नाथ घोषी (फौत)
   द्वारा वारसान
   1. कैलाश पिता रंजीत घोषी
   2. भावसिंह पिता रंजीत घोषी
   दोनों निवासी ग्राम खाताखेडी तह राहतगढ जिला सागर (म.प्र.)

– प्रतिपुनरीक्षणकर्ता

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959

पुनरीक्षणकर्ता निम्नलिखित विनय प्रस्तुत करते है –

उपरोक्त पुनरीक्षण माननीय अनुविभागीय अधिकारी राहतगढ जिला सागर के समक्ष लंबित अपील क्रमांक 26अ/06 वर्ष 2012-13 में पारित अपील आदेश दिनांक 20.01.2014 आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 32 में किये आदेश से दुखित होकर यह पुनरीक्षण प्रस्तुत किया है जिसमें अनुविभागीय अधिकारी महोदय द्वारा उनके समक्ष लंबित अपील के प्रतिपुनरीक्षणकर्ता गण द्वारा दिया आवेदन जिसमें तहसीलदार द्वारा की गई अवैधानिकताओं को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा औपचारिकताओं की पूर्ति की जावेगी जिसे निरस्त किया जाना आवश्यक है।

1. यह माननीय अनुविभागीय अधिकारी राहतगढ के समक्ष संशोधन पंजी क्रमांक 39 आदेष दिनांक 20.06.2005 से दुखित होकर निम्न तथ्य एवं आधारों पर अपील प्रस्तुत की थी।
2. यह कि पुनरीक्षणकर्ता की पैतृक भूमि मौजा जलंधर तह राहतगढ प.ह.नं 38 जिला सागर स्थित खसरा नम्बर 1914, रकवा 7.88 हेक्टेयर स्थित है। जिस पर [illegible] का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

-2-

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 443–तीन/2014 जिला सागर

माखन आदि विरूद्ध तरंजीत सिंह आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
07–3–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी राहतगढ जिला सागर के प्रकरण कमांक 26/अ–6/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 20–1–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 6–5–2019 को कलेक्टर सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। सदस्य 07/3/19	